



पत्रांक : MIS/06/2024/193/...4837

दिनांक: 27/12/2024

सेवा में,

जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,  
सभी जिला, झारखण्ड।

विषय : छात्रों के नामांकन पंजी के ऑकड़ों में संशोधन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में राज्य अन्तर्गत अध्ययनरत विद्यार्थियों का APAAR ID बनाया जा रहा है। APAAR ID निर्माण हेतु बच्चों का Demographic Data (बच्चों का नाम, जन्म तिथि एवं लिंग) U-DISE+ तथा AADHAAR में समान होना अनिवार्य है। जिलों से समीक्षा के क्रम में सभी जिलों से शिकायत प्राप्त हो रही है कि बच्चों का नाम, जन्म तिथि, लिंग, माता का नाम एवं पिता का नाम नामांकन पंजी एवं AADHAAR में एक समान नहीं होने के कारण AADHAAR validation फेल हो रहा है जिससे APAAR ID भी नहीं बन पा रहा है। प्रधानाध्यापकों/प्रभारी प्रधानाध्यापकों द्वारा यह तर्क दिया जा रहा है कि विद्यालय के नामांकन पंजी में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। विद्यालय एवं शिक्षक के इस तर्क के कारण एक ही बच्चों का अलग-अलग एक से ज्यादा प्रोफाइल बनाने की भी जानकारी प्राप्त हो रही है, जिस कारण U-DISE+ अन्तर्गत Dropbox में तथा Inactive बच्चों की संख्या बढ़ रही है। यह भी ज्ञात हो कि UIDAI द्वारा बच्चों के AADHAAR में पर्याप्त साक्ष्य के साथ उनके नाम, जन्म तिथि, लिंग आदि ऑकड़ों में एक बार (One Time) संशोधन करने का प्रावधान दिया गया है।

उक्त के आलोक में निदेश दिया जाता है कि बच्चों के नामांकन पंजी एवं तदनानुसार U-DISE+ में बच्चों के Demographic Data को प्रधानाध्यापकों/प्रभारी प्रधानाध्यापकों द्वारा बच्चों के माता/पिता से प्राप्त पर्याप्त साक्ष्य यथा-जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, अदालती हलफनामा आदि दस्तावेजों के आलोक में विद्यालय के नामांकन पंजी में एक बार (One Time) संशोधन किया जा सकता है ताकि बच्चों का वास्तविक नाम, जन्म तिथि एवं लिंग के आधार पर विद्यालय के नामांकन पंजी, AADHAAR Card, U-DISE+ एवं APAAR ID के ऑकड़ों में एकरूपता लाया जा सके।

विश्वासभाजन

(उमा शंकर सिंह)  
सरकार के सचिव

ज्ञापांक: MIS/06/2024/193/...4837 राँची, दिनांक 27/12/2024

प्रतिलिपि:

1. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. उपायुक्त, सभी जिला, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(उमा शंकर सिंह)  
सरकार के सचिव

